



आरएमजीबी
R M G B

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)



1 मई 2025 से इन दोनों बैंकों का नाम

राजस्थान ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)

होगा

महत्वपूर्ण आम सूचना

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी ग्राहकों तथा अन्य सभी जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असाधारण राजपत्र क्र. सी. जी.- डी. एल.- अ.- 07042025-262329, क्र. 1604, का.अ. 1633 (अ) दिनांक 7 अप्रैल 2025 के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि, जनहित एवं इन बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवाएं दी जा रही हैं, उन क्षेत्रों के विकास के हित में केंद्र सरकार ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को समामेलित करने का निर्णय लिया है।

अतः दिनांक 01 मई 2025 से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) को समामेलित कर, **राजस्थान ग्रामीण बैंक** का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने क्रियाकलापों (कर्मचारी एवं ग्राहक संबंधी) के माध्यम से अर्जित की गई सभी सम्पत्तियाँ, हित और अधिकार (All Assets, Interests & Rights of the old Banks i.e. RMGB & BRKGB) **राजस्थान ग्रामीण बैंक** के नाम पर स्थानान्तरित किए जा रहे हैं। दोनों बैंकों के वर्तमान ग्राहकों की सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। सभी बैंक खाते, ऋण एवं अन्य सेवाएं पूर्ववत चालू और अप्रभावित रहेंगी। **राजस्थान ग्रामीण बैंक** सदैव सर्वोत्तम तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महाप्रबंधक